न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

करण संख्या :– 35/2017 (वाद)
यर दिनांक :– 17/04/2017
र्णय दिनांक :–13/03/2018

अनवान

1– गोपीबाई पिता केशुदास वैरागी निवासी गणेशपुरा हाल निवासी गोपालपुरा, तह0 राश्मी जिला चित्तौडगढ

वादीया

बनाम

1– रोशनदास पिता रतनदास वैरागी निवासी गणेशपुरा तह0 – रेलमगरा
2– सन्तोक पिता रतनदास वैरागी निवासी गणेशपुरा हाल निवासी कांगणी, तह0 गंगापुर जिला भीलवाडा
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

कार्यवाही बाबत् स्वत्व घोषणा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन, विभाजन व निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन, विभाजन व निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार क्षैत्र जुणदा में आराजी संख्या 146, 147, 148, 149, 212 कुल किता – 05 कुल रकबा 07–04 बीघा स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या में वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 के जरिये विरासत् से रतनदास पिता केशुदास वैरागी निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा से प्राप्त हुई है। उपरोक्त जायदाद वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को विरासत से प्राप्त हुई है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सभी एक ही परिवार के सदस्य है सभी हिन्दु परिवार के होकर हिन्दु विधि से शासित है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का वादपत्र में अंकित है। वर्तमान में भूमियां राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां मौरूसी होकर वादीया को उक्त भूमि में जन्म से हक अधिकार प्राप्त है और उक्त भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर वादीया का हक अधिकार प्राप्त है। वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा है। केशुदास की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा केशुदास के पुत्र रतनदास की मृत्यु भी 05–06 माह पूर्व हो चुकी है वादीया व रतनदास मृतक केशुदास के वारिसार है तथा रतनदास की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उसके वारिसान है। केशुदास की मृत्यु पश्चात् भूमियां रतनदास परिवार में बडा था तथा भाई बालुदास व बहीन गेतकी की मृत्यु केशुदास के जिविता अवस्था में ही हो चुकी थी और उक्त आराजियात का अन्तकाल रतनदास बडा भाई होने से अकेले के नाम खोल दिया गया जबकि वादीया स्वयं मृतक केशुदास की पुत्री है केशुदास की मृत्यु पश्चात् वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों पर वादीया का जन्म से ही उक्त भूमियों के प्रत्येक इंच पर इनका हक व अधिकार प्राप्त है। वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां मौरूसी होकर संयुक्त परिवार की होकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। उक्त भूमियों संयुक्त परिवार की होकर अविभाजित भूमियां है। वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां मौरूसी जायदाद होने से वादीया का उसमें जन्म से हक अधिकार है और उक्त भूमियों में वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

02 का 1/2 हिस्सा है। उक्त अधिकार के तहत वादीया अपने हिस्से की भूमि का खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। इसी निमित्त वादपत्र पेश है। वादीया का 1/2 हिस्सा उक्त भूमियों में घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर अंकित किया जावें। उपरोक्त भांति वादीया के पक्ष में डिक्री पारित की जावें। वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां अविभाजित होकर संयुक्त रूप से वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है इस कारण वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कराया जाकर भूमियां वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम पर पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने की प्रारम्भिक व अंतिक डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 भूमियों के विशिष्ट भाग को विकय करना चाहते है इस कारण अजनबी व्यक्तियों को भूमियों पर लाकर सिखा रहे है और भूमियों को नाप चोप कर रहे है इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों को वादीया का 1/2 हिस्सा घोषित होकर भूमियां वादीया के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित नही हो जावें तब तक प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों को किसी भी रूप में किसी भी दस्तावेज के जरिये विकय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नही करे, न ही रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करें व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, नुकसान आदि कारित नही करें न ही अन्य किसी से करावें, न ही वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करें। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो वादीया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगदी में असंभव नही होगी, व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी व मुकदमें में कई प्रकार की पेचिकिया उत्पन्न होगी। वाद कारण दिनांक 02/09/2016 को जब वादीया जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवार हल्का जूणदा में गई और जमाबन्दी में अपना नाम नही देखा जिस पर प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा टालमटुल का जवाब देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा औपचारित पक्षकार होने व भूमिधारक होने से उन्हे आपत्ति निवारण हेतु पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गई है। अतः वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व इस आशय की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 – 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर वादीया वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व अभिलेख में नाम अंकित कराये जाने की डिकी प्रदान कराई जावें। भूमियों का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कराया जाकर हिस्से अनुसार भूमियां वादीया एवं प्रतिवादीगण के नाम पर पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराई जावें इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री पारित फरमाई जावें। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर भूमियों हिस्से अनुसार वादीया के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित नही हो जावें तब तक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 भूमियों को किसी भी रूप में विकय अन्तरित खुर्द बुर्द नही करें न ही किस्म में परिवर्तन करें एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा, अडचन नुकसान आदि कारित नही करें न ही वादीया को उक्त भूमियों से बेदखल ही करें न करावें। उक्त कृत्य परिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्य, नौकर, चाकर, एजेण्ट, हितेषी, मित्र आदि से नही करावें।

...यक कलक्टर
...ण्ड अधिकारी)
...लमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 03 भूमिधारक होकर उसके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 गोपीबाई का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, जमाबन्दी खेवट खतौनी प्रदर्श–02 है जमाबन्दी सेटलमेन्ट प्रदर्श–03 व 04 के प्रस्तुत किये गये।

वादीया अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादीया की पैतृक सम्पत्ति है और हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में प्रत्येक विधिक वारिस को अपनी पैतृक सम्पत्ति में समान हक अधिकार निहीत है। ऐसी स्थिति में वादीया अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व करने में सफल रही है। तथा दौरान बहस वादीया अधिवक्ता ने विभाजन की दाद नही चाही गयी है।

अतः वादीया का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार क्षैत्र जुणदा के आराजी संख्या 146, 147, 148, 149, 212 कुल किता – 05 कुल रकबा 07–04 बीघा में वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गयज्ञं

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा